न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र संख्या :— 86 / 2015

1. सन्नी
2. सत्यदेव
3. कृष्णा

पुत्रान श्रीराम जाति जाट निवासी भवनपुरा तहसील व जिला भरतपुर नाबालिगान जरिये वली सरपरस्त माता मंजू पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी भवनपुरा तह0 भरतपुर।

4. मंजू पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी भवनपुरा तहसील व जिला भरतपुर।.

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीराम पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी भवनपुरा तहसील व जिला भरतपुर।
2. प्रभाव सिंह पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी भवनपुरा तहसील व जिला भरतपुर।
3. तहसीलदार भरतपुर।
4. सब रजिस्ट्रार भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

आदेश

दिनांकः—08 / 01 / 2019

प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए. विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम जघीना नंबर 4 तहसील व जिला भरतपुर स्थित आराजी खसरा नंबरान 8083 / 0.32 में वे 24 / 32 हिस्से के एवं 8101 / 0.21 में पूर्ण हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। अप्रार्थी सं0 1 जो कि प्रार्थीगण के पिता हैं द्वारा प्रार्थीगण की सहमति के बिना दिनांक 16.10.2015 को जरिये विनिमय पत्र अप्रार्थी सं0 2 की आराजी खसरा नंबर 9334 / 0.39 से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबरान 8083 / 0.32 एवं 8101 / 0.21 का विनिमय कर दिया है, जिसका उसे निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था।

विनियमन पत्र दिनांक 16.10.2015 के आधार पर अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थीगण की खातेदारी को मानने से इंकार कर रहे हैं एवं प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। दिनांक 22.10.2015 को अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थीगण को धमकी दी है। जिस कारण प्रार्थी सं0 1

Web Copy - Not Official

लगायत 3 जरिये अदालत अपने को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल–वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 8083/0.32 हैक्टेयर में 24/32 हिस्सा व खसरा नंबर 8101/0.21 हैक्टेयर संपूर्ण पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें और मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 28.10.2015 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण वाके ग्राम जघीना नम्बर 4 तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 8083/0.32, 8101/0.21 की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1,3,4 बावजूद सूचना के उपस्थित न होने पर दिनांक 29.10.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से जबाव पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी सं0 2 ने अपने जबाव में कथन किया है कि प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि बिना प्रार्थीगण की सहमति के दिनांक 16.10.2015 को विनिमय कराया था। वैसे भी जब प्रार्थीगण नाबालिग हैं तथा अप्रार्थी सं0 1 जो प्रार्थीगण का पिता है तथा प्राकृतिक संरक्षण है तो उसे नाबालिगों के हित में विनिमय कराने का पूर्ण हक है। प्रार्थीगण की माता उनके पिता के रहते कानूनी संरक्षक नहीं है। और उसे दावा करने का भी अधिकार नहीं है। विनिमय धारा 48 आर0टी0ए0 के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है। वादीगण को खसरा नंबर 8083 व 8101 का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विनिमय कानून के विरुद्ध साबित नहीं हो। यदि प्रार्थीगण की माता का यह कथन कि विनिमय धोखे से करा लिया है तो वह विनिमय विलेख को शून्य अथवा निरस्त करने का दावा कर सकती है। राजस्व अदालत को विनिमय विलेख को निरस्त कराने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. व एकपक्षीय निषेधाज्ञा दिनांक 28.10.2015 को खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बिन्दुवार विवेचन निम्न प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :–** पत्रावली पर उपलब्ध विनिमय विलेख दिनांक 16.10.2015 के अनुसार प्रथम पक्ष प्रभाव सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर एवं द्वितीय पक्ष सन्नी,

सत्यदेव, कृष्णा नाबालिगान पुत्रगण श्रीराम बलीसरपरस्त पिता खुद श्रीराम जाति जाट निवासी भवनपुरा तहसील व जिला भरतपुर के मध्य जघीना नंबर 4 स्थित खसरा नंबर 9534/0.39 एवं ग्राम भवनपुरा के खसरा नंबर 8101/0.21 का पूर्ण व 8083/0.32 का 24/32 हिस्सा कुल 0.45 हैक्टेयर का पारस्परिक विनिमय (Exchange) हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी प्रभाव सिंह के रकबे के बराबर से जो अधिक रकबा 6 एयर था उसके 3,80,000/– रुपया प्रार्थी प्राकृतिक बली श्रीराम ने नकद प्राप्त कर लिए और उसकी रसीद अप्रार्थी प्रभावसिंह के हवाले की गई। उक्त आराजी का दिनांक 16.10.2015 को आपसी सहमति से विनिमय कराया गया है किन्तु आराजी खसरा नंबर 8083/0.32 एवं 8101/0.21 पर न्यायालय हाजा का दिनांक 28.10.2015 को स्थगन होने से नामान्तरकरण नहीं हो सका है। आराजी खसरा नंबर 8083 व 8101 पर सन्नी, सत्यदेव, कृष्णा पिसरान श्रीराम हिस्सा बराबर नाबालिग दर्ज रिकार्ड है और प्रार्थीगण के पिता श्रीराम द्वारा ही आराजी का विनिमय किया गया है। और बराबर रकबा से अधिक 6 एयर रकबे की भूमि का प्रभाव सिंह से श्रीराम द्वारा नकद राशि भी प्राप्त की गई है। इस प्रकार उक्त आराजियात पर वर्तमान में विनिमय विलेख दिनांक 16.10.2015 प्रभावी है। प्रार्थीगण सं0 1,2,3 ने वाके ग्राम जघीना नं0 4 तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 8083/0.32 में से 34/32 हिस्सा एवं खसरा नंबर 8101/0.21 के संपूर्ण हिस्से पर खातेदारी चाही जाकर विनिमय विलेख दिनांक 16.10.2015 को नल एंड वॉइड किये जाने का निवेदन किया है। चूँकि खातेदारी अधिकार तो मूल दावा के निस्तारण से ही तय किये जावेंगे और अभी मूल दावा का निस्तारण किया जाना शेष है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण के हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते तथा विनिमय विलेख को निरस्त अथवा नल एंड वॉइड करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। यदि प्रार्थीगण इसे शून्य अथवा निरस्त कराना चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते हैं। विवादित आराजी का विनिमय प्रार्थीगण के पिता श्रीराम द्वारा अप्रार्थी प्रभाव सिंह के पक्ष में किए जाने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में पूर्णतया प्रमाणित है।

2. **सुविधा व संतुलन :–** वादग्रस्त आराजी के विनिमय किये जाने एवं तुलनात्मक रकबे से अधिक 6 एयर रकबे की राशि रुपये 3,80,000/– का भी भुगतान प्रभावसिंह के द्वारा प्रार्थीगण 1,2,3 के पिता श्रीराम को किया गया है और आराजी का विनिमय (Exchange) आपसी सहमति के तौर पर हुआ है। इस कारण विनिमय की गई

आराजी का अप्रार्थी सं. 2 पूर्ण रूप से खातेदारी का हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में प्रमाणित है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** वादग्रस्त आराजी के विनिमय (Exchange) होने के बाद व बढ़ी आराजी का भुगतान अप्रार्थी सं0 2 द्वारा किया गया है। यदि दौराने दावा आराजी को खुर्द–बुर्द किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थी सं0 2 को ही अधिक होना स्वाभाविक है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार तीनों बिन्दु ही अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में प्रमाणित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 28.10.2015 निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official